कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ /रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत श्री बृजेश कुमार आचार्य, व्याख्याता, रसायन विज्ञान का स्थानांतरण श्री गोवर्द्धन राउमावि. नाथद्वारा, राजसमन्द से राउमावि, कोयल, राजसमन्द किया गया। बृजेश कुमार आचार्य ने अपने स्थानांतरण के विरूद्व माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चल पीठ, जोधपुर में अपील संख्या 611/2019 बृजेश कुमार आचार्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चल पीठ, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31.10.2019 में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधिनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण चल पीठ, जोधपुर के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी बृजेश कुमार आचार्य द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के 100 प्रतिशत दिव्यांग (दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर) होने एवं स्थानान्तरित विद्यालय अपने निवास स्थान से 60 कि.मी. दूर होने के आधार पर राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय राजसमन्द अथवा राउमावि, लावा, सरदारगढ़, राजसमन्द की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। श्री बृजेश कुमार आचार्य, व्याख्याता, रसायन विज्ञान को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सहमति के आधार पर इनका समायोजन राउमावि, लावा, सरदारगढ़, राजसमन्द, व्याख्याता, रसायन विज्ञान के पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चत करें।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण संशो./2019–20 दिनांक–27-11-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. संबंधित संस्था प्रधान।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।
9. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

C-1 Retirment 2016